

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-26112024-258899
SG-DL-E-26112024-258899xxxGIDHxxx
xxxGIDExxxअसाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 295]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 21, 2024/कार्तिक 30, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 260
No. 295]	DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 21, 2024/KARTIKA 30, 1946	[N. C. T. D. No. 260

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIगुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय
अधिसूचना
दिल्ली, 18 नवम्बर, 2024

फा.सं. जीजीएसआईपीयू/कॉर्ड/80वीं बीओएम/ ओआरडी.25 (रिवाइज्ड)/2023-24/349.—गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय अधिनियम 1998(1998 का अधिनियम 9) की धारा 27 के प्रावधानों के अनुपालन में, गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मंडल ने दिनांक 03 वे नवम्बर 2023 को आयोजित अपनी 80 वीं बैठक में कार्यसूची की मद सं 80.07 के द्वारा, नीचे दिये गये विवरण के अनुसार परीक्षा की सत्रक पद्धति का अनुसरण करते हुए सभी स्नातक/निष्णात डिग्रियों और स्नातक पूर्व/स्नातकोत्तर डिप्लोमा हेतु सप्ताहांत कार्यक्रमों के लिये परीक्षाओं के संचालन एवं मूल्यांकन से संबंधित अध्यादेश 25 संशोधित कर दिया है:

अध्यादेश 25 : परीक्षा की सत्रक पद्धति का अनुसरण करते हुए सभी स्नातक/निष्णात (मास्टर्स) डिग्रियों और स्नातक पूर्व/स्नातकोत्तर डिप्लोमा हेतु सप्ताहांत कार्यक्रमों के लिये परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन।

अनुप्रयोज्यता : यह अध्यादेश, परीक्षा की सत्रक पद्धति का अनुसरण करते हुए सभी स्नातक/निष्णात (मास्टर्स) डिग्रियों और स्नातक पूर्व/स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रमों (उन कार्यक्रमों के अतिरिक्त, जिनके लिये अलग से एक अन्य अध्यादेश अधिसूचित किया गया है) के लिये शिक्षण सत्र 2023-24 से लागू होगा।

1 परिभाषाएँ:

- 1 **अकादमिक कार्यक्रम/कार्यक्रम** से अभिप्राय है पाठ्यक्रम और/अथवा कोई अन्य दूसरा ऐसा घटक जिससे स्नातक डिग्री, निष्णात डिग्री, स्नातकोत्तर एवं स्नातक पूर्व डिप्लोमा प्राप्त हो सके।
- 2 **अकादमिक (शिक्षण) वर्ष** वह अवधि है जो लगभग बारह मास की होगी तथा शिक्षण एवं संबंधित परीक्षा योजना में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु समर्पित होगी।
- 3 **सत्रक प्रणाली** एक ऐसा कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष को दो सत्रक के रूप में प्रभाजित किया गया होता है।
- 4 **पाठ्य समिति** (बीओएस) का अभिप्राय है उस संबंधित स्कूल की पाठ्य समिति।
- 5 **पाठ्यक्रम** से अभिप्राय है शिक्षण कार्यक्रम का वह घटक, जिसमें इसके लिये निर्धारित सुभिन्न कूट संख्या और विशिष्ट आकलन (क्रेडिट)निहित होंगे।
- 6 **बाह्य परीक्षक** से अभिप्राय है एक ऐसा परीक्षक, जो विश्वविद्यालय अथवा इसके संबद्ध संस्थान में नियुक्ति प्राप्त नहीं है।
- 7 छात्र से आशय ऐसे व्यक्ति से है जिसे विश्वविद्यालय तथा इसके संबद्ध संस्थानों के स्कूलों में किन्हीं ऐसे शैक्षणिक कार्यक्रमों, जिनके लिये यह अध्यादेश लागू होता है, में प्रवेश दिया गया है।
- 8 **विश्वविद्यालय** से मतव्य होगा गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय।

2. विश्वविद्यालय, ऐसे सभी शैक्षिक कार्यक्रमों की परीक्षाएँ आयोजित करेगा जिन्हें अकादमिक परिषद् ने स्वीकृति प्रदान कर रखी है और जिन्हें अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृति अनुसार निर्धारित अध्यापन एवं परीक्षा की योजना तथा पाठ्यक्रमानुसार स्नातक की /निष्णात की डिग्रियाँ, स्नातक पूर्व/स्नातकोत्तर डिप्लोमा, जैसा भी मामला हो, प्रदान किये जाने हेतु समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है।
3. विश्वविद्यालय की परीक्षाएँ सप्ताहांत कार्यक्रम के नियमित उन सभी छात्रों के लिये सुलभ होंगी जिन्होंने विश्वविद्यालय में, योजना एवं शिक्षण तथा परीक्षा और पाठ्यक्रम में अध्ययन के उस कार्यक्रम हेतु विनिर्दिष्ट अवधि तक अध्ययन प्राप्त किया होगा।

तथा साथ ही, किसी भी छात्र को इस अध्यादेश के खण्ड 8 अथवा इस विश्वविद्यालय के किसी अन्य अध्यादेश में प्रावधानितानुसार सत्रांत परीक्षा में सम्मिलित होने से विवर्जित किया जा सकता है।

4. कार्यक्रम की अन्तर्वस्तु एवं अवधि

- (क) **स्नातक/निष्णात (मास्टर्स) डिग्रियों और स्नातकपूर्व/स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम** में संबंधित पाठ्य समिति द्वारा प्रस्तावित तथा अकादमिक परिषद् द्वारा स्वीकृत कार्यक्रमों के शिक्षण एवं परीक्षाओं की योजनाओं तथा पाठ्यक्रम में विनिर्दिष्टानुसार अनेक विषय और /या अन्य घटक समाविष्ट होंगे। प्रत्येक विषय का विनिर्दिष्ट क्रेडिट्स के मामले में महत्व (वेटेज)नियत किया जायेगा।
- (ख) कार्यक्रम कर समाप्ति की अपेक्षित न्यूनतम अवधि वह कार्यक्रम अवधि होगी जो कि संबंधित कार्यक्रम की शिक्षण एवं परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम द्वारा विनिर्दिष्ट की जायेगी।
- (ग) कार्यक्रम की समाप्ति की अनुमत अधिकतम अवधि, जो कि कार्यक्रम के लिये निर्धारित अवधि 'एन' सत्र है, (एन+6) सत्र होगी। सभी कार्यक्रम-अपेक्षाएँ, विनिर्दिष्ट अवधि (एन+ 6 सत्रक) में पूर्ण करनी होंगी।
- (घ) (i) किसी भी छात्र को, पाठ्यक्रम तथा शिक्षण एवं परीक्षा योजना में असम्मिलित विषयों(i) अथवा पाठ्यक्रम और शिक्षण एवं परीक्षा योजना में ऐच्छिक विषय (i) अथवा पाठ्यक्रम और शिक्षण एवं परीक्षा योजना में ऐच्छिक विषय(i) जिन्हें छात्र ने क्रेडिट विषय के विकल्प रूप में नहीं माना है, अथवा खण्ड-14 में निर्धारितानुसार की "संपरीक्षा" की अनुमति होगी।
- (ii) विश्वविद्यालय किसी छात्र को एक अथवा अनेक विषयों की "संपरीक्षा" विषय(i) के लिये कह सकता है जिससे कि वह पूर्वापेक्षित कमी की भरपाई कर सके।
- (iii) इस प्रकार के "संपरीक्षित" विषय(i) को, सुस्पष्ट शीर्ष "संपरीक्षित विषय(i) के अंतर्गत अंतिम अंक तालिका में दर्शाया जायेगा बशर्ते कि विषय में उपस्थिति-अपेक्षा के विधिवत् प्रमाणन को संबंधित शिक्षक(i) ने निष्पादित कर दिया हों। तथापि, छात्र, इस प्रकार के विषयों के लिये किसी भी प्रकार के क्रेडिट्स के पात्र नहीं होंगे और न ही परिणाम घोषित किये जाने के उद्देश्य से इन पर विचार ही किया जायेगा।

5 सत्रक

(क) एक शैक्षिक वर्ष दो सत्रकों में प्रभाजित होगा। इन दोनों सत्रकों में से प्रत्येक की कार्य अवधि लगभग 21 सप्ताह होगी। विषम सत्रक के बाद लगभग 2 सप्ताह का एक अन्तराल होगा और सम सत्रक के बाद लगभग 4 सप्ताह का प्रावकाश होगा। प्रतिवर्ष, शैक्षिक वर्ष प्रारंभ होने से पूर्व, विश्वविद्यालय द्वारा एक शैक्षिक कलैण्डर अधिसूचित किया जायेगा।

(ख) अनुदेशकीय कार्यों के लिये अर्पित शैक्षिक सत्रकों का विभाजन निम्नानुसार होगा:

अनुदेश देने और/या प्रयोगशाला कार्य — 20 सप्ताह (कक्षा परीक्षाओं सहित)

सत्रांत परीक्षा, प्रायोगिक/प्रयोगशाला परीक्षा — लगभग 03 सप्ताह सहित

6 शैक्षिक कार्यक्रम समिति

(क) प्रत्येक विश्वविद्यालय स्कूल में एक शैक्षिक कार्यक्रम समिति होगी और संबद्ध संस्थानों में कार्यक्रम अनुसार शैक्षिक कार्यक्रम समिति(याँ) होगी।

(ख) विश्वविद्यालय के अध्ययन स्कूलों के मामले में, अध्ययन स्कूल के सभी शिक्षक एक शैक्षिक कार्यक्रम समिति का गठन करेंगे जिसके स्कूल संकाय अध्यक्ष उसके अध्ययन की भूमिका का निर्वहन करेंगे। यह समिति, संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिये पाठ्यक्रमों विषयों के क्रियान्वयन का समन्वय करेगी तथा विश्वविद्यालय के विभिन्न स्कूलों द्वारा संचालित अन्य कार्यक्रमों के साथ स्कूल के कार्यक्रमों के समन्वय का भी ध्यान रखेगी।

(ग) यह शैक्षिक कार्यक्रम समिति, विश्वविद्यालय के संबंधित स्कूल की पाठ्य समिति द्वारा समनुदेशितानुसार अन्य कार्य भी निष्पादित करेगी।

(घ) शैक्षिक कार्यक्रम समिति, जब भी, जैसी भी आवश्यकता होगी तदनुसार बैठक का आयोजन करेगी लेकिन यह बैठक-आयोजन, प्रत्येक सत्रक में कम से कम एक बार आवश्यक होगा। समिति के अध्यक्ष इन बैठकों का आयोजन करेंगे।

7 परीक्षा शुल्क

विभिन्न परीक्षाओं हेतु छात्रों द्वारा देय शुल्क को कुलपति से स्वीकृति मिलने के पश्चात कुल सचिव द्वारा अधिसूचित किया जायेगा। ऐसा छात्र जिसने परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया है सामान्यतः परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पायेगा। वास्तविक कठिनाई के कुछ मामलों में शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि में वृद्धि करने हेतु, स्वविवेक के आधार पर कुलपति महोदय, अनुमति प्रदान कर सकते हैं। तथापि, ऐसे छात्र के परीक्षा परिणाम को तब तक रोके रखा जायेगा जब तक कि समस्त देय राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता।

8 उपस्थिति

सप्ताहांत कार्यक्रम में, छात्र द्वारा, सप्ताहदिवसाबधि में, समय का 20 प्रतिशत स्वाध्याय हेतु, लगाया जाना अपेक्षित है। किसी भी छात्र के लिये एक सत्रक में लिये गये सभी विषयों के समुच्च के कुल योग की न्यूनतम 70 % उपस्थिति अपेक्षित होगी तथापि किसी भी व्यक्तिशः छात्र के लिये लिखित में कारण अभिलिखित करते हुए, विश्वविद्यालय स्कूल के मामले में स्कूल अधिष्ठाता और विश्वविद्यालय-अनुरक्षित/संबद्ध संस्थानों के मामले में प्राचार्य/निदेशक उपस्थिति में 5 % तक की कमी की अनदेखी कर सकते हैं। लेकिन, जिस छात्र की किसी भी सत्रक में सकल उपस्थिति 65 % से कम होगी तो उसे सत्रान्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

अतिरिक्त (ऊपर के प्रावधान में कोई घटक नहीं) उपस्थिति अपेक्षा को पाठ्यक्रम विवरण एवं शिक्षण और परीक्षा की योजना को विनिर्दिष्ट किया जायेगा।

जिस छात्र को उपस्थितियों की कमी के कारण निरुद्ध कर दिया गया होगा उसे अगले सत्रक में प्रोन्नति हेतु अनुमत नहीं किया जायेगा। उसे पुनः प्रवेश लेना होगा और छात्रों के अगले जूथ के साथ उक्त सत्रक के सभी विषयों को भी दोहराना होगा। तथापि, ऐसे छात्रों की विश्वविद्यालयी नामांकन संख्या अपरिवर्तनीय रहेगी और उन्हें खण्ड 4(ग) में उद्धृतानुसार अधिकतम अनुमेय अवधि (एन +6) में कार्यक्रम को पूर्ण करना होगा।

स्कूल अधिष्ठाता/निदेशक/प्राचार्य, सत्रांत परीक्षा प्रारम्भ होने से न्यूनतम पाँच कैलेंडर-दिवस पूर्व, सत्रक अवधि अंत परीक्षाओं में सम्मिलित होने के अपात्र सभी छात्रों के नामों को घोषणा करेंगे और साथ ही परीक्षा नियंत्रक को भी इस से अवगत करायेंगे।

यदि कोई भी निरुद्ध छात्र सत्रक/अनुपूरक परीक्षा में सम्मिलित हो भी जाता है तो उसके परिणाम को शून्य एवं बातिल माना जायेगा।

9 मूल्यांकन एवं परीक्षा

(क) पाठ्यक्रम-विवरण एवं शिक्षण और परीक्षा की योजना में विषय संबंधी सकल महत्व (वेटेज) को, विषय को समनुदेशित क्रेडिट्स के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

(ख) किसी भी विषय में छात्रों के मूल्यांकन हेतु दो घटक होंगे, यदि पाठ्यक्रम विवरण और शिक्षण एवं परीक्षा योजना में अन्यथा न दर्शाये गये हों।

(i) सत्रक-सत्रांत परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन

(ii) विषय का शिक्षक(ों) द्वारा सतत् मूल्यांकन

(ग) मूल्यांकन के विभिन्न घटकों हेतु महत्त्व के वितरण के लिये, मार्ग निर्देशन निम्नानुसार होगा:

(क) सिद्धांत विषय

(i) शिक्षक(ों) द्वारा सतत् मूल्यांकन	—	40%
(ii) सत्रक-सत्रांत परीक्षा	—	60%

(ख) प्रायोगिक/प्रयोगशाला/स्टूडियो विषय

(i) शिक्षक(ों) द्वारा सतत् मूल्यांकन	—	40%
(ii) सत्रक अवधि अंत परीक्षा	—	60%

(ग) शोध निबंध/शोध प्रबंध

(i) बाह्य परीक्षक द्वारा मूल्यांकन	—	60%
(ii) आंतरिक परीक्षक द्वारा मूल्यांकन	—	40%

पाठ्यक्रम विवरण एवं शिक्षण तथा परीक्षा, शिक्षकों द्वारा सतत् मूल्यांकन हेतु महत्त्व के वितरण को निर्धारित करेगा।

कार्यक्रम के उन अन्य घटकों, जो उपरोक्त में व्याप्त नहीं हैं के लिये कुलपति महोदय की स्वीकृति से पाठ्य समिति/कार्यक्रम समन्वय समिति द्वारा महत्त्व को निर्धारित किया जायेगा। संशोधित अध्यादेश में निहित नहीं।

(घ) सत्रांत परीक्षाओं का संचालन

(i) सभी सत्रांत परीक्षाएँ, परीक्षा नियंत्रक द्वारा ही संचालित की जायेंगी।

(ii) परीक्षा नियंत्रक द्वारा, परीक्षा अनुसूची, सत्रांत परीक्षाओं के प्रारम्भ होने के प्रथम दिवस से न्यूनतम दस दिन पूर्व अधिसूचित की जायेगी।

(iii) सभी सैद्धांतिकी और प्रयोगात्मक परीक्षाओं तथा शोध निबंधों/ शोध प्रबंधों/ परियोजना रिपोर्टों/ प्रशिक्षण रिपोर्टों के लिये परीक्षा नियंत्रक द्वारा कुलपति की स्वीकृति से सभी परीक्षकों की नियुक्तियों की जायेंगी।

परन्तु उपकुलपति परीक्षकों की स्वीकृति हेतु अपने प्राधिकार स्वविवेक से प्रत्यायोजित भी कर सकते हैं।

विश्वविद्यालय स्कूलों में चलने वाले कार्यक्रमों के लिये परीक्षकों के नामों हेतु संस्तुतियाँ संबंधित पाठ्य समिति से उनके क्रमशः अध्यक्षों के माध्यम से प्राप्त की जा सकेंगी। जहाँ कोई तात्कालिक आवश्यकता आ गयी हो और पाठ्य समिति की बैठक बुलाई जानी संभव न हो तो पाठ्य समिति के अध्यक्ष स्पष्ट रूप से यह बताते हुए कि पाठ्य समिति की बैठक आयोजित क्यों नहीं की जा सकती, नामों की संस्तुति कर देंगे।

संबद्ध संस्थानों में चलने वाले कार्यक्रमों के लिये परीक्षकों के नामों की संस्तुतियाँ संबंधित कार्यक्रम समन्वय समिति से उनके अध्यक्षों के माध्यम से प्राप्त की जा सकेंगी। जहाँ कोई, तात्कालिक आवश्यकता आ गयी हो

और कार्यक्रम समन्वय समिति के अध्यक्ष स्पष्ट रूप से यह बताते हुए कि कार्यक्रम समन्वय समिति की बैठक क्यों नहीं बुलाई जा सकती, नामों की संस्तुति कर देंगे।

आपातक स्थितियों में, जहाँ किन्हीं भी कारणों से, उपरोक्त अनुबंधनुसार पाठ्य समिति/कार्यक्रम समन्वय समिति से संस्तुतियाँ नहीं ली जा सकती हों तो कुलपति महोदय द्वारा नामित अधिष्ठाताओं में से, किसी से भी संस्तुतियाँ प्राप्त की जा सकेंगी।

(ड.) शिक्षकों द्वारा सतत मूल्यांकन

- (i) शिक्षकों द्वारा सतत मूल्यांकन, निश्चित कार्यक्रम परिणाम (पीओएस) एवं पाठ्यक्रम परिणाम (सीओएस) का अनुभव प्राप्त करने के लिये, परिणाम आधारित शिक्षा (ओबीई) के मूल सिद्धान्तों पर आधारित होगा। शिक्षकों द्वारा सतत मूल्यांकन की रीति निर्धारण, शिक्षण कार्यक्रम समिति/कार्यक्रम समन्वय समिति, तथा संबंधित वि॰वि॰ अध्ययन स्कूल जो भी लागू होता हो द्वारा किया जायेगा तथा समुचित प्रक्रिया अपनाते हुए अध्ययन की योजना एवं पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लिया जायेगा।
- (ii) किन्हीं विशिष्ट मामले/मामलों में, यदि उचित लगे तो विश्वविद्यालय के पास अधिकार है कि वह शिक्षकों द्वारा सतत मूल्यांकन तथा शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन की विधि से जुड़े सभी रिकॉर्डों को मँगा सकता है।

(च) शोध निबंध/शोध प्रबंध

पाठ्य विवरण में जहाँ कहीं भी विनिर्दिष्ट हो, निष्णात उपाधि (डिग्री) कार्यक्रमों के लिये एक आन्तरिक परीक्षक, जो सामान्यतः पर्यवेक्षक होंगे और एक या अधिक बाह्य परीक्षक(ए) धारी समिति द्वारा मूल्यांकन किया जायेगा और अंक प्रदान किये जायेंगे। आन्तरिक परीक्षक 40% में से और बाह्य परीक्षक 60% में से अंक प्रदान करेंगे। परीक्षकों की नियुक्ति, इस अध्यादेश के खण्ड 10 (घ) (iii) में विनिर्दिष्टानुसार सुझाये गये तीन अथवा अधिक नामों की नामिका में से उपकुलपति महोदय द्वारा की जायेगी।

- (छ) विश्वविद्यालय के पास अधिकार होगा कि वह शिक्षकों द्वारा सतत मूल्यांकन से संबंधित सभी अभिलेख मंगवा सकता है तथा यदि उसे किसी विशिष्ट मामले/मामलों में उपयुक्त लगता हो तो वह शिक्षक द्वारा किये गये मूल्यांकन के मर्यादित (मॉडरेट) भी करवा सकता है।
- (ज) प्रत्येक विषय के लिये सत्रक अवधि-अन्त प्रायोगिक परीक्षाएँ, परीक्षक मंडल द्वारा संचालित की जायेंगी। इस परीक्षक मंडल में एक या अधिक परीक्षक सम्मिलित होंगे।
- (झ) उपरोक्त उपखण्ड (ड और च) में असमावेष्टित परीक्षा के किसी अन्य प्रकार के लिये, परीक्षा संचालन की विधि, पाठ्य विवरण एवं शिक्षण तथा परीक्षा योजना में विशिष्ट रूप से प्रावधानित-अनुसार ही होगी और उपरोक्त के अभाव में संबंधित पाठ्यक्रम समिति/कार्यक्रम समन्वय समिति की संस्तुति पर कुलपति महोदय की स्वीकृति से परीक्षा नियंत्रक महोदय द्वारा निर्णीत की जायेगी।
- (ञ) एक सत्रक (शिक्षक के सतत मूल्यांकन तथा सत्रक/अनुपूरक अवधि अंत परीक्षा दोनों सहित के) परिणाम, परीक्षा नियंत्रक महोदय द्वारा घोषित किये जायेंगे। तथापि, विवरण सहित परिणाम की संवीक्षा के बाद, यदि परीक्षा नियंत्रक महोदय को ऐसा लगता है कि किसी विषय विशेष में अथवा समग्र रूप से परीक्षा के मानक में सुस्पष्ट बदलाव हुआ है तो वे, इस मामले को उस मर्यादन समिति, जिसे इसी उद्देश्य के लिये विशेष रूप से कुलपति द्वारा गठित किया गया है, तो अग्रेषित कर देंगे।
- (ट) विभिन्न विषयों में छात्र द्वारा प्राप्तांक निहित अवार्ड लिस्ट (अंक तालिका), परिणाम घोषित होने के पश्चात्, प्रत्येक शैक्षिक सत्रक के अंत में परीक्षा नियंत्रक महोदय द्वारा जारी की जायेगी।

10 विषय उत्तीर्ण करने, अंकों, प्रोन्नति एवं श्रेणियों संबंधी मापदण्ड

10.1 (क) किसी भी विषय के लिये नियत क्रेडिट्स होते हुए भी विषय के अधिकतम अंक 100 ही होंगे।

- (ख) किसी भी कार्यक्रम(ए) के लिये उत्तीर्णांक किसी कार्यक्रम विशेष के विषयों के समरूप होंगे और पाठ्य विवरण एवं शिक्षण तथा परीक्षा योजना द्वारा विनिर्दिष्ट होंगे। उत्तीर्णांकों को कुल अंकों (शिक्षकों द्वारा सतत मूल्यांकन तथा अवधि-अंतपरीक्षा दोनों के ही योग-अंकों) के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाएगा जो 40 प्रतिशत से कम नहीं होंगे।

(ग) किसी भी विषय में उत्तीर्ण होने /अर्हकता प्राप्त करने के लिये छात्र को विषय मूल्यांकन के सभी घटकों में सम्मिलित होना ही होगा।

10*2 किसी भी छात्र के परिणाम घोषित होने की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर किसी विशिष्ट विषय(ों) की परीक्षा-उत्तर पुस्तिका(ओं) की पुनःजाँच के लिये निर्धारित शुल्क का भुगतान कर आवेदन करना होगा। पुनः जाँच से अभिप्राय है यह सत्यापन करवाना कि क्या सभी प्रश्नों और उनके भागों को प्रश्नपत्र की अनुरूप सम्यक्तः अंक दिये गये हैं और अंकों का योग सही है या नहीं। विसंगति पाये जाने की स्थिति में उसे, संबंधित सत्रक/अनुपूरक अवधि अन्त परीक्षाओं के परिणाम तथा अंक तालिका में समुचित परिवर्तन करके परिशोधित कर दिया जायेगा।

10*3 (i) किसी छात्र द्वारा किसी विषय में निर्धारित उत्तीर्णांक से कम अंक प्राप्त करने और उस विषय में अनुत्तीर्ण हो जाने पर उसे, विषय प्रस्तावित करने वाले वर्ष के, खंड 4 (स) में उल्लिखितानुसार अधिकतम अनुमेय अवधि की शर्त पर पश्चवर्ती वर्षों में विषय की सत्रक अवधि अन्त परीक्षा में पुनर्सम्मिलित होने के लिये अनुमत किया जायेगा।

(ii) जिस छात्र को उपरोक्त खंड 10(3)(प) के निबंधन में सत्रक अवधि अन्त परीक्षाओं में पुनर्सम्मिलित होने है तो पश्चवर्ती वर्ष(ों) में प्रचालनरत पाठ्यक्रमानुसार ही उसकी परीक्षा ली जायेगी। तथापि, यदि संबंधित कार्यक्रम में छात्र द्वारा प्रवेश लेने के समय प्रचालनरत पाठ्यक्रम की तुलना में वर्तमान पाठ्यक्रम में भारी परिवर्तन है तो परीक्षा का आयोजन पुराने पाठ्यक्रमानुसार ही होगा।

(iii) जो छात्र सत्रक/अनुपूरक अवधि अन्त परीक्षा में पुनर्सम्मिलित होने के पात्र हैं उन्हें संबंधित स्कूल/संस्थान के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक महोदय को आवेदन करना होगा और परीक्षा में पुनः सम्मिलित होने के लिये अनुमत होने की अवस्था में, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा-शुल्क का भुगतान करना होगा।

(iv) पुनः सम्मिलित होने वाले ऐसे छात्र, जिन्होंने शिक्षकों द्वारा सतत मूल्यांकन के अधिकतम अंकों के उत्तीर्ण प्रतिशत (10*1 (ख) में परिभाषितानुसार) के समान अंकों से कम अंक प्राप्त किये हैं, के पास दोहराव का और छात्रों के नियमित बैच के साथ कक्षा परीक्षा निष्पादन (प्रदर्शन) सुधारने का भी विकल्प है। ऐसे मामलों में छात्र(ों) को, वर्ष के प्रारम्भ में ही अधिष्ठाता/ निदेशक स्कूल/संस्थान को ऐसे सुधार के लिये आवेदन करना होगा। सत्रक अवधि अन्त परीक्षाओं के प्रारम्भन से कम से कम 7 दिन पूर्व संबंधित स्कूल/संस्थान से प्राप्त संशोधित अंकों को ही मान्यता दी जायेगी अन्यथा छात्र द्वारा पूर्व में ही प्राप्त पिछले अंकों को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया जायेगा। ऐसे मामलों में, जहाँ छात्र अपने कक्षा परीक्षा निष्पादन को छात्रों के अगले बैच के साथ सुधारने का विकल्प चुनता है तो कक्षा परीक्षा में प्राप्तांकों को, निर्धारित कार्य (अंसाइनमन्ट)/ समूह विचार-विमर्श/मौखिक परीक्षा/अतिरिक्त परीक्षा/प्रश्नोत्तरी आदि के घटकों को सम्मिलित करने के लिये, आनुपातिक रूप से बढ़ा दिया जायेगा। ऐसा छात्र यदि, अवधि समाप्त परीक्षा में पुनर्सम्मिलित नहीं होता है तो परिणाम घोषणा के लिये, शिक्षकों द्वारा सतत मूल्यांकन के दोहराव के लिये कोई भी अतिरिक्त शुल्क छात्र(ों) से नहीं लिया जायेगा।

(v) अगले शिक्षण वर्ष के लिये प्रोन्नति नीति

(i) किसी भी छात्र को अगले शैक्षिक वर्ष के लिये केवल तभी प्रोन्नत किया जायेगा यदि उसने उस विद्यमान वर्ष, जिससे अगले शैक्षिक वर्ष में प्रोन्नति के लिये वह इन्छुक है, के कुल क्रेडिट्स का न्यूनतम 50 % (पूर्णांक होने की स्थिति में) अर्जित किया है।

(ii) ऐसे सभी छात्र, जो उपरोक्तानुसार, अपेक्षित क्रेडिट्स में न्यूनता के कारण अथवा किसी विशेष शैक्षिक वर्ष में निरुद्ध किये जाने के कारण अगले शैक्षिक वर्ष में प्रोन्नत होने में असफल रहे थे, वर्ष की ऐसी परीक्षाओं, जिसमें वे असफल रहे थे अथवा निरुद्ध कर दिये गये थे, के दोहराव के लिये 'शैक्षिक विराम' पर होने के लिये स्वतः घोषित हो जायेंगे जिससे कि अगले शैक्षिक वर्ष में प्रोन्नत होने के लिये पर्याप्त क्रेडिट्स अर्जित कर सकें। ऐसे किसी भी छात्र को कोई भी विषय दोहराने की आवश्यकता नहीं होगी, जिसको छात्र द्वारा पहले ही सफलता पूर्वक पूर्ण कर लिया गया हो।

प्रोन्नति के लिये पर्याप्त क्रेडिट्स अर्जित करने के बाद ऐसे छात्र जिसने कम से कम एक शैक्षिक विराम ले लिया है, संबंधित कार्यक्रम के उस शैक्षिक वर्ष के नियमित बैच में स्वतः ही पुनः प्रवेश पा जायेगा। पुनः प्रवेश (पुनः-प्रवेश के वर्ष से) पर ऐसे छात्र(ों) के लिये अनुप्रयोज्य पाठ्यक्रम तथा शिक्षण एवं परीक्षा योजना, नियमित बैच के छात्रों को प्रस्तावित योजना जैसी ही होगी। यदि छात्र को प्रस्तावित सभी विषयों के कुल क्रेडिट्स नियमित बैच के छात्रों के न्यूनतम क्रेडिट्स से भी कम है तो ऐसे छात्र को डिग्री प्रदान करने के लिये न्यूनतम क्रेडिट्स, परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रस्तावितानुसार और

कुलपति द्वारा स्वीकृतानुसार होंगे। नही तो ये, उस नियमित बैच के न्यूनतम क्रेडिट्स के समान हाने चाहियें, जिसमें छात्र ने कार्यक्रम के अंतिम वर्ष में अध्ययन किया है।

शैक्षिक विराम केवल निम्न छात्रों के लिये अनुप्रयोज्य होगा—

- 1 जिनको उपस्थिति की कमी के कारण निरुद्ध कर दिया गया हो।
- 2 जिसने उन्नयन के लिये अपेक्षित क्रेडिट्स का अर्जन नहीं किया है।
- 3 ऐसे छात्र, जो किसी शैक्षिक वर्ष के अर्जित क्रेडिट्स को छोड़ना चाहते हैं और पूरे शैक्षिक वर्ष (सभी शैक्षिक घटकों में प्रवेश लेना चाहते हैं) को दोहराना चाहते हैं, उन्हें अध्ययन स्कूल/संस्थान/महाविद्यालय के माध्यम से पुनः प्रवेश के लिये आवेदन करना अपेक्षित होगा। इस विराम को शैक्षिक विराम समझा/माना जायेगा।

एक शैक्षिक कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिये किसी भी छात्र को केवल दो शैक्षिक विराम ही अनुमेय होंगे। किसी भी छात्र को, किन्हीं भी कारणों से दो से अधिक शैक्षिक विराम अनुमेय नहीं होंगे। जिस छात्र के दो शैक्षिक विराम समाप्त हो चुके हैं और उसे आगे अन्य शैक्षिक विराम लेने की आवश्यकता पड़ जाती है तो ऐसी स्थिति में उसका प्रवेश स्वतः रद्द हो जायेगा। यदि इस धारा के कारण ऐसी स्थिति बन जाती है कि खण्ड 4(ग) के अनुसार निर्धारित अवधि में डिग्री प्राप्त करने की अपेक्षाओं को पूरा करने में छात्र असमर्थ रहता है तो ऐसे छात्र का प्रवेश स्वतः ही रद्द हो जायेगा। यदि ऐसा छात्र जिसका प्रवेश हा चुका है और फिर भी वह परीक्षा में प्रविष्ट हो जाता है तो उसका परिणाम शून्य और बातिल घोषित कर दिया जायेगा।

सांविधिक निकाय द्वारा शासित अध्ययन कार्यक्रम में, यदि सांविधिक निकाय विनियम/नियम किसी प्रोन्नति नीति को विनिर्दिष्ट करने के लिये तो वह, संबंधित पाठ्य समिति द्वारा लागू करने की स्वीकृति के बाद अनुप्रयोज्य होगा। अध्ययन के संबंधित कार्यक्रम को शासित करने वाली पाठ्य समिति, संबंधित कार्यक्रम हेतु पाठ्यक्रम एवं शिक्षण तथा परीक्षा में उसे समाविष्ट करने के द्वारा अगले शिक्षण वर्ष के लिये प्रोन्नति हेतु अतिरिक्त अपेक्षाओं को लागू कर सकती है।

(vi) अंतिम वर्ष अनुपूरक अवधि अंत परीक्षाएँ

अंतिम वर्ष परिणामों की घोषणा के बाद, केवल उन नियमित छात्रों, जिनका पूर्व अंतिम वर्ष विषयों का कुछ भी शेष नहीं है, के लिये अनुपूरक परीक्षाएँ आयोजित की जायेंगी। अर्थात्, अनुपूरक अवधि अंत परीक्षाएँ उन नियमित छात्रों जो केवल अंतिम वर्ष के विषयों में ही अनुत्तीर्ण हुए हैं, के लिये केवल अंतिम वर्ष के विषयों में से ही होंगी। अनुपूरक अवधि अंत परीक्षाएँ केवल उन्हीं छात्रों के लिये अनुमत होंगी जिन्हें अंतिम वर्ष विषय(ों) की परीक्षा(ओं)में प्रविष्ट होने के लिये केवल एक ही अवसर प्रदान किया गया था। इन मामलों में शिक्षक, द्वारा निरंतर मूल्यांकन घटक अपरिवर्तित रहेंगे। अनुपूरक सत्रांत परीक्षाएँ केवल उन अध्ययन कार्यक्रम के लिये आयोजित की जाएँगी जिनके पाठ्यक्रम तथा शिक्षण एवं परीक्षा, इस परीक्षा के लिये विनिर्दिष्ट करती होंगी।

10.4 क्रेडिट अपेक्षाएँ/क्रेडिट्स अन्तरण

किसी भी छात्र, जिसने संबंधित पाठ्यक्रम तथा शिक्षण एवं परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम संख्या में क्रेडिट्स या तो पूर्णतः अध्ययन के संबंधित विश्वविद्यालय स्कूल/संबद्ध संस्थान/अधिगम एवं शिक्षा केन्द्र से अर्जित किये होंगे अथवा भारत के भीतर अथवा बाहर प्रचालनरत किसी अन्य विश्वविद्यालय से किसी एक सत्र/सत्रकों के लिये अर्जन करने के बाद जिनका अंतरण हो चुका है और जिनका गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन हो चुका है, उन्हें कार्यक्रम उत्तीर्ण किया हुआ घोषित कर दिया जायेगा और वे सुसंगत उपाधि (डिग्री) या डिप्लोमा प्रदान किये जाने के पात्र हो जायेंगे। पाठ्यक्रम तथा शिक्षण एवं परीक्षा योजना, उपाधि अथवा डिप्लोमा के लिये अर्हकता प्राप्त करने के लिये अर्जनार्थ न्यूनतम क्रेडिट्स स्पष्टतः विनिर्दिष्ट करेंगे। कार्यक्रम के पाठ्यक्रम तथा शिक्षण एवं परीक्षा योजना में समावेष्ट क्रेडिट्स सामान्यतः, संबंधित सांविधिक अथवा नियामक प्राधिकार, यदि कोई हो, के न्यूनतम विनिर्दिष्ट क्रेडिट्स से 5-10% अधिक होंगे।

10.5 श्रेणीकरण प्रणाली

अवधि अंत परीक्षाओं में, शिक्षण सत्र मूल्यांकन अंकों को जोड़ने के बाद अधिकतम 100 अंकों से छात्र द्वारा प्राप्ताओं को वर्ण श्रेणी में परिवर्तित कर दिया जायेगा। श्रेणी अंक वह संख्यांक है जो नीचे दिये गये अनुसार किसी छात्र को अंक मान में समनुदेशित वर्ण श्रेणी के समान है :

अंक	श्रेणी	श्रेणी अंक
90-100	ओ	10
75-89	ए+	9
65-74	ए	8
55-64	बी+	7
50-54	बी	6
45-49	सी	5
40-44	पी	4
40 से कम अथवा अनुपस्थित	एफ	0

श्रेणी पी (श्रेणी अंक 4) विषय उत्तीर्ण श्रेणी ही होगी जब तक कि कार्यक्रम हेतु पाठ्यक्रम एवं शिक्षण तथा परीक्षा द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो। पाठ्यक्रम एवं शिक्षण तथा परीक्षा में व्याख्यितानुसार उत्तीर्ण श्रेणी से नीचे की श्रेणी(İ) के लिये सहयुक्त श्रेणी अंक शून्य होगा। दोनों अर्जित अंक और श्रेणियाँ, अवधि अन्त अंक तालिका में प्रतिक्षिप्त होंगे।

11 अनुचित साधन/छात्र शिकायत निवारण समिति

(क) अनुचित साधनों का उपयोग

सत्रात परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग से संबंधित सभी रिपोर्टित मामले, व्यक्तिगत मामलों से निर्णय लेने और यदि अपेक्षित है तो शास्तियों की संस्तुति करने के लिये कुलपति महोदय द्वारा गठित की जाने वाली अनुचित साधन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे। अनुचित साधनों के उपयोग के रूप में मान्य कृत्यों को परीक्षा प्रभाग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जायेगा और संदिग्ध/आरोपित/रिपोर्टित अनुचित साधनों के उपयोग वाले मामलों से निपटने की प्रक्रिया की स्वीकृति कुलपति महोदय द्वारा दी जायेगी। शिक्षकों द्वारा सत्त मूल्यांकन अवधि के मामलों पर अधिष्ठाता संबंधित स्कूल/संस्थान के निदेशक उपयुक्त आवश्यक निर्णय लेंगे और परीक्षा प्रभाग को सूचित करेंगे।

(ख) छात्र शिकायत निवारण समिति

यदि प्रश्न पत्र विन्यास आदि से संबंधित कोई लिखित अभ्यावेदन/शिकायत परीक्षा समाप्ति के सात दिनों के भीतर छात्रों द्वारा, स्कूल अधिष्ठाता/संस्थाननिदेशक द्वारा की गयी विशिष्ट संस्तुति के साथ, जमा कराया जाता है तो उस पर कुलपति महोदय द्वारा गठित की जाने वाली छात्र शिकायत निवारण समिति ही विचार करेगी। प्रश्नगत परीक्षा के परिणाम घोषित होने से पहले ही छात्र शिकायत निवारण समिति की संस्तुतियों पर कुलपति महोदय उपयुक्त आवश्यक निर्णय लेंगे।

12 सत्र के श्रेणी-अंक औसत (एसजीपीए) और संचयी श्रेणी अंक औसत (सीजीपीए)

- 1 किसी भी सत्रक में निष्पादन को सत्रक श्रेणी अंक औसत के रूप में दर्शाया जायेगा और उसे दो दशमलव अंक तक पूर्ण किया जायेगा।
- 2 सभी सत्रकों का एक साथ संचयी निष्पादन, समूचे कार्यक्रम के निष्पादन को प्रतिबिंबित करेगा और इसे संचयीश्रेणी अंक औसत (सी जी पी ए) के रूप में जाना जायेगा और उसे दो दशमलव अंक तक पूरा किया जायेगा।
- 3 एस जी पी ए और सी जी बी ए की गणना हेतु सूत्र नीचे दिया गया है :

$$\text{एस जी पी ए} = \frac{\sum_i C_i G_i}{\sum_i C_i}$$

$$\text{सी जी पी ए} = \frac{\sum_n \sum_i C_{ni} G_{ni}}{\sum_n \sum_i C_{ni}}$$

जबकि C_{i_i} वे विषय के लिये क्रेडिट्स की संख्या
 G_{i_i} वे विषय में प्राप्त श्रेणी अंक
 C_{ni_n} वे सत्रक के i वे विषय की क्रेडिट संख्या
 M_{ni_n} वे सत्रक के i वे विषय के अंक
 G_{ni_n} वे सत्रक के i वे विषय के श्रेणी अंक

- 4 एस जी पी ए और सी जी पी ए की गणना के लिये लेखा पत्रकों (खण्ड 4(घ) के अनुसार) को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

खण्ड 10•4 के अनुसार सफल अभ्यर्थी, जिन्होंने डिग्री प्रदान किये जाने के लिये पाठ्यक्रम और शिक्षण एवं परीक्षा योजना में विनिर्दिष्ट न्यूनतम सी जी पी ए के समान अथवा अधिक सकल सी जी पी ए अर्जित किया है, को डिग्री प्रदान कर दी जायेगी और निम्नानुसार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जायेगा:

- 4•00–4•99 के सी जी पी ए को तृतीय श्रेणी में रखा जायेगा।
- 5•00–6•49 के सी जी पी ए को द्वितीय श्रेणी में रखा जायेगा।
- 6•50 और अधिक के सी जी पी ए को प्रथम श्रेणी में रखा जायेगा।
- 10 सी जी पी ए को निदर्शनीय अनुकरणीय निष्पादन श्रेणी में रखा जायेगा। निदर्शनीय निष्पादन को अवार्ड प्रदान किया जायेगा यदि और केवल यदि, छात्र को प्रस्तावित कार्यक्रम के प्रत्येक विषय को छात्र ने परीक्षा में प्रथम प्रयास में ही उत्तीर्ण कर लिया होगा। शैक्षिक विराम ले चुके छात्र को निदर्शनीय निष्पादन अवार्ड प्रदान नहीं किया जायेगा।
- सी जी पी ए x10 को, अंको के प्रतिशत की बराबरी के उद्देश्य हेतु छात्र द्वारा प्राप्तियों के प्रतिशत के समान माना जायेगा।

13 डिग्री प्रदान किया जाना

किसी भी छात्र को डिग्री प्रदान की जायेगी यदि :

- (i) उसने स्वयं का पंजीकरण, पाठ्यक्रम के विषयों का अध्ययन, अपने कार्यक्रम के पाठ्यक्रम में विनिर्दिष्ट परियोजना रिपोर्टों / प्रशिक्षण रिपोर्टों की निष्पत्ति, अनुबंधित समय में कर ली होगी और संबंधित डिग्रीप्रदान किये जाने के लिये निर्धारित न्यूनतम क्रेडिट्स अर्जित कर लिये होंगे।
- (ii) उनके नाम पर विश्वविद्यालय के स्कूल/सम्बद्ध संस्थान का कार्ड देय शेष नहीं है और
- (iii) उनके विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही/कारवाई लंबित तो नहीं हैं।
- (iv) उसने, डिग्री प्रदान किये जाने के लिये पाठ्यक्रम तथा शिक्षण और परीक्षा में विनिर्दिष्ट न्यूनतम सी जी पी ए के समान अथवा उससे उच्च सी जी पी ए अर्जित किया है।

- 14 अधिनियम, संविधियों तथा अध्यादेशों के प्रावधानों के अधीन; परीक्षाओं में अव्यवस्थित ढंग से आचरण, अन्य अनाचार, अन्य अनाचार, परीक्षा प्रपत्रों को जमा कराने की तिथि, डिग्रियों की अनुपत्तियाँ जारी करना, परीक्षकों, अधीक्षकों, अन्वीक्षकों को अनुदेश, उनके पारिश्रमिक और परीक्षा संचालन से संबंधित अन्य ऐसे सभी प्रशासनिक मामले, कुलपति महोदय द्वारा इन उद्देश्यों हेतु स्वीकृत दिशा-निर्देशों के अनुसार निपटाये जायेंगे।

संविधि नियामक निकाय द्वारा विनियमित कार्यक्रमों के लिये, यदि संविधि नियामक निकाय द्वारा विनियम जारी किया जाता है और वह उसे अध्यादेश के प्रावधानों से भिन्न रखता है तो संविधि नियामक निकाय के विनियम अकादमिक परिषद की अनुमति से प्रचलित होंगे और कार्यक्रम के अध्ययन की योजना और पाठ्यक्रम का भाग बन जायेंगे।

- 15 इस अध्यादेश में वर्णित किसी अन्य बात के होते हुए भी, किसी अप्रत्याशित ऐसे मामले के उठ जाने पर जो अध्यादेश की व्याप्ति में न आता हो अथवा व्याख्या संबंधी मतभेद हों तो कुलपति महोदय, स्कूलों के किसी एक अथवा सभी अधिष्ठाताओं से समावेशित समिति की राय/सलाह लेकर कोई निर्णय ले सकते हैं। कुलपति महोदय, द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

यह संशोधित अध्यादेश, प्रबंध मंडल द्वारा दिये गये स्वीकृति दिनांक, अर्थात् 03/11/2023 से प्रभावी होगा।

आदेशकर्ता,

डॉ. कमल पाठक, कुलसचिव

GURU GOBIND SINGH INDRAPRASTHA UNIVERSITY**NOTIFICATION**

Delhi, the 18th November, 2024

F.No. GGSIPU/Coord/80th BOM/ Ord.25(Revised)/2023-24/349.—In pursuance of the provisions of Section 27 of the Guru Gobind Singh Indraprastha University Act, 1998 (9 of 1998), the Board of Management of Guru Gobind Singh Indraprastha University in its 80th meeting held on 03.11.2023 vide agenda item 80.07 has revised Ordinance 25 related to 'Conduct And Evaluation of Examinations for Weekend Programme leading to All Bachelor's / Master's Degrees and Under-Graduate/ Post-Graduate Diploma following the Semester System' as detailed below:

Ordinance 25 : **CONDUCT AND EVALUATION OF EXAMINATIONS FOR WEEKEND PROGRAMME LEADING TO ALL BACHELOR'S/ MASTER'S DEGREES & UNDER-GRADUATE/ POST-GRADUATE DIPLOMAS FOLLOWING SEMESTER SYSTEM**

APPLICABILITY : This ordinance shall apply to all weekend programmes leading to all Bachelor's/ Master's degrees and Under- graduate/Post -graduate diplomas following semester system [other than programmes for which separate Ordinance is notified] from Academic Session 2023-2024.

1. DEFINITIONS:

1. **Academic Programme/ Programmes** shall means a programme of courses and/or any other component leading to a Bachelor's degree, Master's degree, Post-graduate and Under-graduate diplomas.
2. **An Academic Year** is a period of nearly 12 months devoted to completion of requirements specified in the Scheme of Teaching and the related examinations.
3. **Semester System** a programme wherein each academic year is apportioned into two semesters.
4. **Board of Studies (BOS)** shall mean the Board of Studies of the School concerned.
5. **Course** means a component of the academic programme, carrying a distinctive code no, and specific credits assigned to it.
6. **External examiner** shall mean an examiner who is not in the employment of the University or its affiliated institutions.
7. **Student** shall mean a person admitted to the Schools of the University and its affiliated institutions for any of the academic programmes to which this Ordinance is applicable.
8. **University** shall mean Guru Gobind Singh Indraprastha University.
2. The University shall hold examinations for all such academic programmes as are approved by the Academic Council and as it may notify from time to time for awarding Bachelor's/ Master's Degrees, Under-graduate/ Post-graduate diplomas, as the case may be, as per the prescribed Schemes of Teaching & Examinations and Syllabi as are approved by the Academic Council.
3. Examinations of the University shall be open to regular students of weekend Programme i.e. candidates who have undergone a course of study in the University for a period specified for that programme of study in the Scheme & Teaching & Examination and Syllabi.

Provided, further that a student may be debarred from appearing in the semester-end examination as provided in Clause 8 of this Ordinance or as provided in any other Ordinance of the University.

4. PROGRAMMES CONTENT & DURATION

- (a) A Bachelor's/ Master's Degrees, Under-graduate/ Post-graduate Diploma programme shall comprise of a number of courses and/or other components as specified in the Scheme of Teaching & Examination and Syllabi of the concerned programme, as are approved by the Academic Council. Each course shall be assigned a weightage in terms of specified Credits.

- (b) The minimum period required for completion of a programme shall be the programme duration as specified in the Scheme of Teaching & Examination and Syllabi for the concerned programme.
- (c) The maximum permissible period for completing a programme for which the prescribed programme duration is n semesters, shall be $(n+6)$ semesters. All the programme requirements shall have to be completed in $n+6$ semesters.
- (d)
 - (i) A student may be allowed to "audit" a course(s) not included in the Scheme of Teaching & Examination, or one of the elective course(s) in the scheme of Teaching & Examination and Syllabi, which the student is not opting for as a credit course, or as prescribed in clause 14.
 - (ii) The University may ask a student to audit one or more courses, so as to make up any pre-requisite deficiency.
 - (iii) Such audited course(s) shall be shown in the final mark- sheets under a distinct head of "Audited Course(s)" provided the attendance requirement of the course is duly certified to have been met by the concerned teacher(s). However, a student shall neither be entitled to any credits for such course(s), nor these shall be considered for the purposes of declaration of results.

5. SEMESTER

- (a) An academic year shall be apportioned into two semesters shall be of a working duration of about 21 weeks. There shall be break of 2 weeks after odd semester and 4 weeks after the even semester.

The Academic Calendar shall be notified by the University each year, before the start of Academic Year.

- (b) The academic break-up of the semesters devoted to instructional work shall be as below:

Imparting of instructions and/or laboratory work - 20 Weeks
(including class tests)

Semester-end Examination, including Practical/ Laboratory Examination - 03 Weeks

6. ACADEMIC PROGRAMME COMMITTEE

- (a) There shall be an Academic Programme Committee in each University School and programme-wise Academic Programme Committee(s) in affiliated institutions.
- (b) In the case of Schools of Studies of the University, all the teachers of a School of Studies shall constitute the Academic Programme Committee of which the Dean of the School shall act as its Chairman. This Committee shall coordinate the implementation of the courses for optimum utilization of resources and shall also take care of the coordination of the School's programmes with the other programmes run by the different Schools of the University.
- (c) The Academic Programme Committees shall also perform other tasks as assigned to it by the Board of Studies of the concerned School of the University.
- (d) The Academic Programme Committee shall meet as and when required but at least once every semester. The Chairman of the Committee will convene the meetings.

7. EXAMINATION FEES

The Registrar shall notify the fees payable by the students for various examinations, after the same is approved by the Vice-Chancellor. A student who has not paid the prescribed fees before the start of examinations shall not ordinarily be eligible to appear in the examination. The Vice-Chancellor may at his discretion allow, in certain cases of genuine hardship, an extension in the last date of payment of fees. The result of such students shall, however, be withheld till all the dues are cleared.

8. ATTENDANCE

In the weekend programme, the student is expected to devote 20% of time during weekdays for self-study. A student shall be required to have a minimum attendance of 70% or more in the aggregate of all the courses taken together in a semester, provided that the Dean of the school in case of University Schools and Principal/ Director in case of University maintained/ affiliated institutes may condone attendance shortage upto 5% for individual student for reasons to be recorded. However, under no condition, a student who has an aggregate attendance of less than 65% in a semester shall be allowed to appear in the semester end examination.

Student who has been detained due to shortage of attendance shall not be allowed to be promoted to the next semester and he/ she will be required to take re-admission and repeat all courses of the said semester with the next batch of students. The University Enrolment number of such student shall however remain unchanged and he or she shall be required to complete the programme in a maximum permissible period of (n+6) semesters as mentioned in clause 4(c).

Dean of the School/ Director / Principal shall announce the names of all such students who are not eligible to appear in the semester-end examination, at least 5 calendar days before the start of the semester-end examination and simultaneously intimate the same to the Controller of Examinations.

In case any student appears by default, who in fact has been detained by the Institute, his/ her result shall be treated as null and void.

9. EVALUATION & EXAMINATION

- (a) The overall weightage of a course in the Syllabi and Scheme of Teaching & Examination shall be determined in terms of credits assigned to the course.
- (b) The evaluation of students in a course shall have two components unless specifically stated otherwise in the Scheme of Teaching & Examination and syllabi:
 - (i) Evaluation through a semester-end Examination
 - (ii) Continuous evaluation by the teacher(s) of the course.
- (c) The distribution of weightage for various components of evaluation shall be as below:

A. Theory Courses

- | | | |
|---|---|-----|
| (i) Continuous evaluation by teacher(s) | - | 40% |
| (ii) Semester term end examination | - | 60% |

B. Practical/Laboratory/Studio Courses

- | | | |
|---|---|-----|
| (i) Continuous evaluation by teacher(s) | - | 40% |
| (ii) Semester term end examination | - | 60% |

C. Dissertation/Thesis

- | | | |
|--------------------------------------|---|-----|
| (i) Assessment by External Examiner | - | 60% |
| (ii) Assessment by Internal Examiner | - | 40% |

The Syllabi and Scheme of Teaching and Examination shall prescribe the distribution of weightage for Continuous Evaluation by teachers and term end examination.

For any other component of a programme not covered by the above, the weightage shall be prescribed by the Board of Studies/ Programme Coordination Committee, with the approval of the Vice-Chancellor. Not in the revised ordinance.

(d) Conduct of semester-end examinations.

- (i) All semester-end examinations shall be conducted by the Controller of Examinations.

- (ii) The schedule of examination shall be notified by the Controller of Examinations at least 10 days prior to the first day of the commencement of semester-end examinations.
- (iii) For theory as well as practical examinations and dissertation/ thesis/ project report/ training report all examiners shall be appointed by the Controller of Examinations with the approval of the Vice-Chancellor.

Provided that the Vice-Chancellor may at his discretion, delegate his authority for approval of examiners.

For programmes being run in the University Schools, recommendations for names of examiners shall be obtained from the concerned Board of Studies through their respective Chairmen. Where there is an exigency and the Board of Studies cannot meet, the Chairman, Board of Studies may recommend the names, stating clearly why the meeting of Board of Studies could not be convened.

For programmes being run in affiliated institutions, recommendations for names of examiners shall be obtained from the respective Programme Coordination Committees through the Chairmen of the Committees. Where there is an exigency and the Programme Coordination Committee cannot meet, the Chairman of Programme Coordination Committee may recommend the names, stating clearly why the meeting of the Programme Coordination Committee could not be convened.

In emergency situations, where for some reasons, the recommendations cannot be obtained from the Board of Studies / Programme Coordination Committee as stipulated above, recommendations may be obtained from one of the Deans nominated by the Vice-Chancellor.

(e) Teacher's Continuous Evaluation:

- (i) Continuous Evaluation by teachers will be based on the basic principles of the Outcomes Based Education (OBE) to realize the defined Programme Outcome (POs) and Course Outcome (COs). The modalities of the Continuous Evaluation by teachers may be decided by the Academic Programme Committee/ Programme Coordination Committee, as applicable and Board of Studies of the respective USS and shall be incorporated in the scheme and syllabus of study after following due procedure.
- (ii) The University shall have the right to call for all the records of teacher's continuous evaluation and moderate the teacher's evaluation, if it deems fit, in any specific case(s).

(f) Dissertation/ Thesis

For dissertation/ thesis for Master's degree programmes, wherever specified in the syllabus, the evaluation shall be done and marks awarded by a Committee comprising of an internal examiner, who will ordinarily be the supervisor, and one or more external examiners. The internal examiner shall award marks out of 40%, and the external examiner(s) out of 60%. The examiners shall be appointed by the Vice-Chancellor out of a panel of three or more names suggested as specified in clause 10(d)(iii) of this Ordinance.

- (g) The University shall have the right to call for all the records of teacher's continuous evaluation and moderate the teacher's evaluation, if it deems fit in any specific case(s).
- (h) Semester-end practical examinations shall be conducted by a Board of Examiners for each course. The Board shall consist of one or more examiners.
- (i) For any other type of examination, not covered by sub-clause (e) and (f) above, the mode of conduct of examination shall be as specifically provided in the syllabus/ scheme of examination and in the absence of such a provision shall be decided by the Controller of Examinations on the recommendation of the Board of Studies/ Coordination Committee concerned, with the approval of the Vice-Chancellor.
- (j) The results of a semester (including both the semester-end examinations and teacher's continuous evaluation) shall be declared by the Controller of Examination. However, after scrutiny of the detailed result, if it is observed by Controller of Examination that there has been a distinct change of standard in the examination as a whole or in a particular course, he may refer the matter to the Moderation Committee, specially constituted for the purpose by the Vice Chancellor.

- (k) The award list containing the marks obtained by a student in various courses shall be issued by the Controller of Examinations, at the end of each semester, after the declaration of the result.

10. Criteria for Passing Courses, Marks, Promotion and Divisions

- 10.1 (a) The maximum marks in a course shall be 100 irrespective of the credits assigned to the course.
- (b) The passing marks in course(s) of a programme shall be uniform across courses of a particular programme and shall be specified by the Syllabi and Scheme of Teaching and Examination. The passing marks shall be defined as the percentage of total marks (sum of both the teachers' continuous evaluation and term end examination) and shall not be less than 40 percent.
- (c) To pass/ qualify in a course, the student must appear in all components of evaluation of the course.
- 10.2 A student may apply, within two weeks from the date of the declaration of the result, for re-checking of the examination script(s) of a specific course(s) on the payment of prescribed fees. Rechecking shall mean verifying whether all the questions and their parts have been duly marked as per the question paper, and the totaling of marks. In the event of a discrepancy being found, the same shall be rectified through appropriate changes in the result as well as mark-sheet of the concerned semester/ supplementary term end examinations.
- 10.3 (i) A student obtaining less than the passing marks assigned to a course and failing in the course, shall be allowed to re-appear in semester term end examination of the course in a subsequent years when the course is offered, subject to maximum permissible period as mentioned in clause 4 (c).
- (ii) A student who has to re-appear in a semester term end examinations in terms of clause 10.3(i) above shall be examined as per the syllabus which will be in operation during the subsequent year(s). However, if there are major modifications in the syllabus which is in operation as compared to the syllabus which was applicable at the time of the students joining the concerned programme, the examination may be held in accordance with the old syllabus.
- (iii) Students who are eligible to re-appear in a semester/ supplementary term end examination shall have to apply to the Controller of Examinations through the School/ Institution concerned and pay the examinations fees prescribed by the University, to be allowed to reappear in an examination.
- (iv) The re-appearing student who secured less than marks equal to passing percentage (as defined in 10.1(b) of maximum marks of teacher's continuous evaluation also have the option to repeat and improve the class test performance with regular batch of student. In such cases, the student will be required to apply for such improvement in the beginning of the said year, to the Dean/ Director of the School/ Institute. The revised marks, received from the School/ Institution concerned at least 7 days before the commencement of semester term end examinations shall be considered, otherwise the previous marks, already obtained by the student shall be taken into account without any modification. In such cases where the students opts to improve the class test performance with the next batch of students, the marks obtained in class test will be proportionately increased to include the component of assignmen/ group discussion/ viva voce/ additional test/ quizzes etc. If such students do not re-appear in the term-end examinations, the improvement in teacher's continuous evaluation shall not be taken into account for result declaration. No extra fee shall be charged from the students for repeating the teacher's continuous evaluation.
- (v) **Promotion Policy to the Next Academic Year**
- (i) A student will be promoted to the next academic year only if such student has obtained at least 50% (rounding to full digits) of the total credits of the existing academic year from which the promotion to next academic year is being sought.
- (ii) All such students who fail to get promoted to next academic year for the reason of deficiency in required credits, as stated above or due to being detained in a particular academic year, will automatically be declared to have taken academic break to repeat such examinations of the year in which the student has failed or has been detained, so as to obtain sufficient credits to be promoted to the next academic year. Such a student shall not be required to repeat any course that student has already completed successfully.

On acquisition of sufficient credits for promotion, such students who have taken at least one academic break, shall be automatically readmitted in the regular batch of that academic year of the concerned programme. The Syllabi and Scheme of Teaching and Examination applicable to such students on readmission (from the year of readmission) shall be Scheme as offered to the students of the regular batch. If the total credits of all courses offered to the student is less than the minimum credits of the regular batch students then the minimum credits for the award of the degree of such students shall be as proposed by the Controller of Examinations and approved by the Vice-Chancellor otherwise it shall be equal to the minimum credits of the regular batch in which the student has studied the final year of the programme.

Academic break shall be applicable only to students-

1. Who are detained due to shortage of attendance.
2. Who do not attain the required credits for promotion.
3. Those who want to drop the acquired credits of an academic year and repeat the full academic year (that is, appear in all academic components), such students shall be required to apply through School of Study/ Institute/ College for readmission. This break shall be deemed as an academic break.

Only two academic breaks are permissible for a student for the completion of the academic programme. A student will not be allowed to take more than two academic breaks, for any reason whatsoever. A student who has exhausted two academic breaks and a further occasion arises for him/ her to take academic break, in such cases the admission of such student would automatically stand cancelled. If due to this clause, a situation arises where the student shall not be able to complete the requirements for the award of the degree in stipulated time as per clause 4(c), the admission of such students shall automatically stand cancelled. If such students, whose admission have been canceled as per this clause, and the student appears for examinations, the result of such students shall be declared null and void.

In programmes of studies governed by a statutory body, if the regulations/ rules of the statutory body specify any promotion policy, the same shall be applicable, after approval for implementation by the concerned Board of Studies. The Board of Studies governing the concerned programme of study may impose additional requirements for promotion to the next academic year by incorporating the same in the Syllabi and Scheme of Teaching and Examination for the concerned programme.

(vi) **Final Year Supplementary Term End Examinations**

A supplementary examinations shall be conducted after the declaration of the final year result, only for those regular students who do not have backlog upto the pre-final year courses. That is, supplementary term end examinations to be held only for the courses of the final year for the regular students who have failed only in courses of the final year. The supplementary term end examinations shall be allowed only to students who have only been offered one chance to appear in the examinations of the final year course(s). The teachers continuous evaluation components shall not change in these cases. The supplementary term end examinations shall be held for programmes of studies whose Syllabi and Scheme of Teaching and Examination specify this examination.

10.4 Credit Requirements/ Transfer of Credits

A candidate who has earned the minimum number of credits prescribed in the concerned Syllabi and Scheme of Teaching and Examination, either entirely from the concerned University School of Studies/ Affiliated Institute/ Centre for Learning and Education or including those credits which have been transferred after earning them for one semester/ semesters from any other University operating in and outside India and with which MoU has been entered by the Guru Gobind Singh Indraprastha University, shall be declared to have passed the programme, and shall be eligible for the award of the relevant degree or diploma. The Syllabi and Scheme of Teaching and Examination shall clearly specify the minimum credits to be earned to qualify for a degree or diploma. The credits included in the Syllabi and Scheme of Teaching and Examination of a programme shall generally be 5-10% more than such minimum specified credits, subject to prescribed guidelines of the concerned statutory or regulatory authority, if any.

10.5 Grading System

After adding the teaching continuous evaluation marks to the term end examinations marks, the marks secured by a student from maximum 100 shall be converted into a letter grade. The grade points are the numerical equivalent of letter grade assigned to a student in the points scale as given below:

Marks	Grade	Grade Point
90-100	O	10
75-89	A+	9
65-74	A	8
55-64	B+	7
50-54	B	6
45-49	C	5
40-44	P	4
Less than 40 or absent	F	0

Grade P (grade point 4) shall be the course passing grade unless specified otherwise by the Syllabi and Scheme of Teaching and Examination for the programme. For grade(s) below the passing grade as defined in the Syllabi and Scheme of Teaching and Examination, the associated grade points shall be zero. Both acquired marks and grades shall be reflected on the term end marksheets.

11. Unfair Means/ Students' Grievance Committee

A. Use of Unfair Means

All cases regarding reported use of Unfair Means (UFM) in the examination during term end examination shall be placed before a Unfair Means Committee/s to be constituted by the Vice-Chancellor for decision in individual cases, and recommending penalties, if any. The actions deemed as "Use of Unfair Means" shall be specified by the Examination Division and procedure for dealing with cases of suspected/ alleged/ reported use of unfair means shall be approved by the Vice-Chancellor. For UFM cases during teacher's continuous evaluation the Dean/ Director of the concerned school/ institution shall take appropriate necessary decision and communicate to the Examination Division.

B. Students Grievance Committee

In case of any written representation/ complaints received from the students within seven days after completion of the examination regarding setting up of question paper etc. along with specific recommendations of the Dean of the School/ Director of the Institution, the same shall be considered by the Students Grievance Committee to be constituted by the Vice-Chancellor. The Vice-Chancellor shall take appropriate decision on the recommendations of the Students Grievance Committee, before the declaration of result(s) of the said examination.

12. Calculation of Semester Grade Point Average (SGPA) and Cumulative Grade Point Average (CGPA)

1. Performance in a semester will be expressed as Semester Grade Point Average (SGPA) and shall be rounded to two decimal digits.
2. Cumulative performance of all the semesters together will reflect performance in the whole programme and it will be known as Cumulative Grade Point Average (CGPA), and shall be rounded to two decimal digits.
3. The formula for calculation of SGPA and CGPA is given below:

$$SGPA = \frac{\sum_i C_i G_i}{\sum_i C_i}$$

$$CGPA = \frac{\sum_n \sum_i C_{ni} G_{ni}}{\sum_n \sum_i C_{ni}}$$

Where

C_i – number of credits for the i th course.

G_i – grade point obtained in the i th course.

C_{ni} – number of credits of the i th course of the n th semester.

M_{ni} – marks of the i th course of the n th semester.

G_{ni} – grade points of the i th course of the n th semester.

4. Audit papers (as per clause 4(d)) shall not be accounted for in the calculation of SGPA and CGPA.

The successful candidates as per clause 10.4 and having an overall CGPA higher than or equal to the minimum CGPA specified in the Syllabi and Scheme of Teaching and Examination for the award of the degree, shall be awarded the degree and shall be placed in Divisions as below:

- **CGPA of 4.00-4.99** shall be placed in the Third Division.
- **CGPA of 5.00-6.49** shall be placed in the Second Division.
- **CGPA of 6.50** or above shall be placed in the First Division.
- **CGPA of 10** shall be placed in the Exemplary Performance. Exemplary Performance shall be awarded, if and only if, every course of the programme offered to the student is passed in the first chance of appearing in the paper that is offered to the student. A student with an academic break shall not be awarded the exemplary performance.
- The CGPA x 10 shall be deemed equivalent to percentage of marks obtained by the student for the purpose of equivalence to percentage of marks.

13. Award of Degree

A student shall be awarded a degree if:

- (i) He/ she has registered himself/ herself, undergone the course of studies, completed the project report/ training report specified in the curriculum of his/ her programme within the stipulated time, and secured the minimum credits prescribed for award of the concerned degree.
- (ii) There are no dues outstanding in his/ her name to a School of the University/ Affiliated Institution; and
- (iii) No disciplinary action is pending against him/ her.
- (iv) He/ she has acquired the CGPA higher than or equal to the minimum CGPA specified in the Syllabi and Scheme of Teaching and Examination for the award of the degree.

14. Subject to the provisions of the Act, the Statutes and the Ordinances such administrative issues as disorderly conduct in examinations, other malpractices, dates for submission of examination forms, issue of duplicate degrees, instructions to examiners, superintendents, invigilators, their remuneration and any other matter connected with the conduct of examinations will be dealt with as per the guidelines approved for the purposes by the Vice-Chancellor.

For programmes regulated by a statutory regulatory body, if a regulation is issued by the statutory regulatory body, and is at variance with the provisions of this ordinance, then the regulations of the statutory regulatory body shall prevail with the approval of Academic Council and shall be a part of the scheme and syllabus of study of the programme.

15. Notwithstanding anything stated in this Ordinance, for any unforeseen issues arising, and not covered by this Ordinance, or in the event of differences of interpretation, the Vice-Chancellor may take a decision, after obtaining the opinion/ advice of a Committee consisting of any or all of the Deans of the Schools. The decision of the Vice-Chancellor shall be final.

This revised Ordinance shall come into force with effect from the date of approval by the Board of Management i.e. 03.11.2023.

By Order,

Dr. KAMAL PATHAK, Registrar